



*ef BIS/2*

IN THE HON'BLE BOARD OF REVENUE, MP GWALIOR

REVIEW PET. NO. \_\_\_\_\_ | 2005

*Rc2 641-II/05*

*श्री पी० रु० स० शिक्षक विभाग द्वारा बोर्ड  
द्वारा बाबू दि० 7/5/05 को प्रस्तुत  
राजस्व मण्डल स० प्र० रवालिवार*

1. State of M.P Through: The Excise Commissioner, MOTI Mahal, Gwalior
2. The Collector Through: The District Excise Officer, Distt. Chindwara, MP

.... APPLICANTS

V/S

M/s Som Distilleries Pvt.Ltd.,  
23-Zone-II Maharana Pratap Nagar  
Bhopal-462011

...NON-APPLICANTS

REVIEW PETITION U/S 51 OF M.P. LAND REVENUE  
CODE 1959 AGAINST THE ORDER PASSED BY HON'BLE  
MEMBER SHRI M.K.SINGH OF BOARD OF REVENUE IN  
CASE NO.1718-II/04 DATED 29.12.2004

Humble applicant submits this review  
petition as under :-  
SHORT FACTS OF THE CASE:

1. That, the Non-applicant is a Liquor Supplier and responsible for the supply of Country Liquor through out the year as per demand of retail contractor of District Chindwara. The Non-applicant failed to make supply of the country liquor as per demand of the retail contractor, therefore, the Excise Department made arrangements by purchasing the country spirit/liquor from other Distillers and supplied the liquor to the retail contractors.

*Amrit Singh*

*Bis*

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 641-दो/15

जिला - छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
८-८-१६	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1718-दो/04 में पारित आदेश दिनांक 29-12-04 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2-- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन विचारार्थ ग्राह्य किया जा सकता है :--</p> <p>1-- नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।</p> <p>2-- अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।</p> <p>3-- कोई अन्य पर्याप्त कारण।</p> <p>आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों, अभिलेख वापिस हो एवं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>  <p>सूचित सदस्य</p> <p>B/na</p>	